Present: M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 131/2026, Katihar Nagar P.S. 792/2024
Md. Ganno V/s State of Bihar

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P. No- 131/2026
Katihar P.S Case No- 792/2024

1. मो0 गन्नो उर्फ अन्नो पिता मो0 हासिम, उ0त0 30 वर्ष
निवासी सा0:– रामपारा, थाना– नगर कटिहार,
जिला– कटिहार।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार।..अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः .... श्री प्रतीक शर्मा।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांक–11.05.2026 आदेश

1. प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन आवेदक मो0 गन्नो उर्फ अन्नो की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा द्वारा नवीन वकालतनामा के साथ सशपथ–पत्र दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक विश्वजीत चक्रवर्ती, पिता– श्री मधुसूदन चक्रवर्ती सा0– कॉलोनी संख्या– 2 वार्ड संख्या– 21, थाना एवं जिला–कटिहार ने दिनांक 28.10.2024 को थाना प्रभारी नगर को एक लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 26–27/10/2024 की मध्यरात्रि में सूचक के घर में मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया एवं घर में रखे आलमीरा का ताला तोड़कर लॉकर में रखे लगभग 2 भर सोना का आभूषण एवं नगदी 20,000/– (बीस हजार) रूपया लेकर फरार हो गया। सूचक को इसकी जानकारी सुबह उठने पर लगी, जिसके बाद उसके द्वारा थाना नगर कटिहार में लिखित आवेदन दिया गया है।
3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से प्रारंभ में एक जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जो खारिज हो गया, जिसके विरूद्ध आवेदक माननीय उच्च न्यायालय पटना में जमानत आवेदन संख्या– 45222/2025 दाखिल किया था जो सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया। आवेदक वाद के परिस्थिति में परिवर्तन होने के आधार पर यह नवीन जमानत आवेदन पुनः दाखिल किया है। इस मामले के अलावे आवेदन तीन अन्य मामले में अभियुक्त है। आवेदक दिनांक 04.11.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान अभी चल रहा है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा इसका नाम स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। यह मामला अभी साक्ष्य पर चल रहा है तथा सूचक का साक्ष्य हो चुका है, जिसने आवेदक के विरूद्ध कोई बात नहीं कही है। जब्ती सूची के साक्षी ने भी आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आवेदक को जमानत का लाभ दिये जाने पर वह न्यायालय की संतुष्टि पर स्थायी एवं स्थानीय जमानतदार देने को तैयार है। अतः निवेदन है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।
5. विद्वान लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक विश्वजीत चक्रवर्ती के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा नगर कटिहार थाना कांड

संख्या– 792/2024 दिनांक 28.10.2024 को अज्ञात के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 331(4) और 305 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक मो0 गन्नो एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 498/2024 दिनांक 27.12.2024 भा0न्या0सं0 की धारा 331(4), 305, 3(5) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए समर्पित किया गया हैं। अनुसंधान के क्रम में आवेदक के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या– 248/2022, नगर थाना कांड संख्या–326/2017 एवं कोढ़ा थाना कांड संख्या–46/2019 दर्ज पाया गया है। आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के आधार पर आवेदक एवं सहअभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 28.03.2025 को भा0न्या0सं0 की धारा 331(4), 305, 3(5) के अन्तर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कटिहार द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक 16.04.2025 को आरोपित धाराओं में आरोप का गठन किया गया हैं। अभियोजन की ओर से आरोप गठन के बाद तीन साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है। न्यायालय में परीक्षित किसी भी साक्षी द्वारा न्यायालय में अभियुक्त की पहचान नहीं किया गया हैं। आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नहीं है तथा उसके पास से कोई आपतिजकन वस्तु बरामद नहीं की गई हैं। आवेदक मामले में दिनांक 04.11.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले के अन्य सहअभियुक्त जमानत पर हैं।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि आवेदक दिनांक 22.11.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध दिनांक 16.04.2025 को ही आरोप का गठन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक मो0 गन्नों को उसकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000/– रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः–

1. एक जमानतदार आवेदक के माता, पिता या परिवार का कोई सदस्य होगा।
2. आवेदक इस आशय का शपथ–पत्र/अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा। इस तरह के अपराध में पुनः संलिप्त पाये जाने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।
3. आवेदक प्रत्येक तिथि को सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचारण में सहयोग करेगा। निरंतर तीन तिथि तक पर्याप्त कारण के बिना सदेह अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।
4. आवेदक प्रत्येक महीने के प्रत्येक द्वितीय रविवार को नगर थाना कटिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय तथा नगर थाना कटिहार को भेजे और अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार

Date of Reserving Order	11.05.2026
Date of Order	11.05.2026
Uploading Date	11.05.2026
Uploaded By	

webcourtkatihar